The question was put and the motion was adopted

SHRI VALAMPURI JOHN: Sir, I introduce the Bill.

THE ABOLITION OF CASTE AND RELIGIOUS TITLES FROM NAMES BILL, 1983

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Now, we will take up further consideration of the Abolition of Caste and Religious Titles from Names Bill, 1983. Shri P. N. Sukul, Absent. Any other Speaker on this please. No. In that event I request the Minister.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI H. R. BHARDWAJ): It is not in my name.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL) : Are you going to intervene in this or not ? It is your Bill. It was taken up in the last Session also if I remember correctly and a good number of Members have participated in the discussion.

SHRI H. R. BHARDWAJ: Sir, this is regarding the Abolition of Caste and Religious Titles from Names Bill, 1983. It is in not my name.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): I am sorry. The Home Minister will reply to it.

श्री दरबारा सिंह (पंजाब) : वाइस चेयरमैन साहब, यह बहुत गहरी बात है जिस पर हमने पीछे भी डिस्कशन किया है और आज भी करने वाले हैं । हम कहना चाहते हैं कि जितनी दिलेरी और मजबूती से इसको पास करके अमल किया जाये तो बहुत अच्छी बात है । मुझे बाहर के लोगों से नहीं कहना, लेकिन यहां पार्लियामेंट में भी पार्लियामेंट के बाहर भी लोगों ने अपने सब नाम--अपनी जाति बिरादरी और अन्य सब नाम लिखे हुए हैं । हमारी जो किताब बनती है इसमें हमारे सबके नाम हैं । मैं तो चाहता हूं कि हम कहीं से आगाज इस बात का करें । जो लोग उस ढंग से चलते हैं वे कास्ट और सबकास्ट को और ज्यादा अहमियत दे रहे हैं । क्यों नहीं यह बात खत्म की जाये हमेशा के लिए । इन्सान इन्सान किस मजहब से ताल्लुक रखता है, किस कास्ट से सब कास्ट से ताल्लुक रखता है इसका शुमार करते करते हमारे अन्दर एक डिसइन्टेग्रेशन हो रहा है । सारी पार्टियां भी इसमें हैं । कोई बाहर नहीं है । ये सारे के सारे अपने पीछे कुछ न कुछ लगाते हैं । इसलिए लगाते हैं कि हमारा डिफरेंशियेट हो सके कि हम किस बिरादरी से, किस से ताल्लुक रखने वाले हैं । इसलिए पहले तो हम यहीं से आगाज करें ताकि बाहर के लोगों को इस बात का अंदाज हो सके कि जाति बिरादरी और ऐसे टाइटल जिसने फिरकेदारी और दूसरी चीजों का अहसास होता है उनको हम दूर रखना चाहते हैं । ऐसी बातें हम यहां से पास कर दें और खुद उस पर अमल न करें तो यह हमारी ज्यादती होगी । हम, लोगों को करने के लिए कहते हैं और खुद उसको करने के लिए तैयार नहीं हैं । या यही किया जाये कि आज के बाद जो हम अपना नाम देंगे तो उसके साथ कुछ नहीं लगाएंगे तो यह बात चल सकती है । हो क्या रहा है कि जब कहीं इलेक्शन का वक्त हो, या न भी हो, कहीं बिरादरी का सवाल हो तो उसमें अपनी मेरिट को देखकर लोगों को साथ लाने के मुकाबले में बिरादरी के लोगों को ज्यादा साथ ले सकते हैं तो इसीलिए हम उस पर अपनी सारी ताकत झोंक देते हैं । जब वे वोट देते हैं, इलेक्शन में वोट देते हैं हम वहां खास कम्युनिटी के लोगों को खड़ा कर देंगे तो . . .**(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार) : इसमें जो मूवर आफ द बिल हैं उन्होंने रेड्डी टाइटिल रखा है ।

He wants to remove it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): After the Bill is passed into an Act.

SHRI CHATURANAN MISHRA: I am just telling and Darbara Singh is also a Singh.

So, I wanted to know whether the Singh Title denotes some caste or not?

SHRI DARBARA SINGH: I think, you are mistaken about it. I do not consider it so. It is a name of a Sikh. Please hear me now. In U.P., Bihar and other provinces, there are Singhs and they are clean shaved also.

SHRI CHATURANAN MISHRA: So, you mean to say it is only a religious title.

SHRI DARBARA SINGH: "Singh" means lion. Understand it. I think you are in favour of removing all this.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Yes.

SHRI DARBARA SINGH: Then why waste my time?

SHRI CHATURANAN MISHRA: I want "Singh" also to be removed.

SHRI DARBARA SINGH: First "Mishra" should be removed because it denotes caste. It should be removed first. You are a member of the Communist Party of India. You must remove "Mishra" from your name. We know what you are. Why do you write "Mishra"? "Mishra" is a community, a sub-community, and the Communist Party does not believe in it. If anyone believes in this caste system then he is not a Communist. Therefore, I would like that you should also remove this "Mishra" from your name.

मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह जितने भी टाईटल्ज हैं, यह हमें पीछे की तरफ ले जाते हैं और एक दूसरे के खिलाफ हम अपनी जाति-बिरादरी का नाम लेकर कहीं अपने मफाद के लिए कोशिश करते हैं कि हम किस जगह पर एडजस्ट हो सकते हैं।

मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। वह यह है कि किसी ने मेरे बारे में कहा कि फलां जगह से जब यह इलेक्शन लड़ रहा है, तो वहां तो सिख आबादी नहीं है।

मैंने कहा कि मैं सिख के तौर पर नहीं लड़ रहा हूं, मैं लड़ रहा हूं एज कांग्रेसमैन और कांग्रेसमैन वहां कितने हैं। मेरा इसमें इम्तियाज नहीं है कि वह हिन्दू है, सिख है या मुसलमान है, या और कोई है। मुझे सिर्फ सेक्युलर होकर, बतौर कांग्रेसी होकर लड़ना है। तो अगर आबादी के लिहाज से ही आपने जाना है, तो इन्टेग्रेशन जो है, सेक्लूरिज्म जो है, उसके ऊपर भारी चोट पड़ रही है और जो लोग कम्यूनिटी का नाम लेकर और यह कह कर कि मैं फिरकेदारी की एक पार्टी से ताल्लुक रखता हूं, अगर वह आगे आकर कहते हैं कि हम सेक्यूलर हैं, यह सिवाय इसके कि यह पर्दापोशी है और कुछ नहीं है। तो मैं यह कहता हूं कि इस पर मैं कोई ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं, और यह टाईटल्ज जो हैं, मस्ट बी रेमूव्ड।

आप कहीं भी, किस जगह पर हैं, किसके साथ लगे हुए हैं, सब इसको इन्सान के तौर पर इसको हमें एडमिट करना चाहिए और इसको हम यहां से शुरू करें अपने आप से।

मेरा ख्या मिश्र जी को अब हम मिश्र जी नहीं कहेंगे आगे से।

श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी (आंध्र प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, जो प्रस्ताव श्री आदिनारायण रेड्डी जी ने पेश किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रस्ताव के जरिए उन्होंने न सिर्फ इस सदन का ही, बल्कि सारे देश का ध्यान उस तरफ दिलाने की कोशिश की है कि देश के अंदर जो अब कास्ट के नाम पर, जाति के नाम पर या मजहब के नाम पर जगह-जगह पर समस्याएं उठ खड़ी हो रही हैं, उनको दूर करने के लिए, उन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए और समाज में एक किस्म की एकता, एक भाव पैदा करने के लिए, उस दृष्टि से, उस नजर से उन्होंने इस प्रस्ताव को सदन के

[श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी]

सामने पेश किया है। इसका हम स्वागत करते हैं।

इसके साथ ही साथ हमको न सिर्फ प्रस्ताव के जरिए से या कुछ अपने भाषण के जरिए से, बल्कि हमको यह देखना चाहिए कि समाज के अंदर एक ऐसा वातावरण हम पैदा करें जिससे एक इनसान दूसरे इनसान को इनसान की नजर से देखें, न कि यह इस जाति का है, इस मजहब का है। यह बहुत ही खतरनाक होगा देश के लिए और समाज के लिए।

तो अभी मिश्र जी ने यह कहा कि जो इस प्रस्ताव के मूवर हैं, आदिनारायण रेड्डी-- उनके अपने नाम के पीछे रेड्डी लगा हुआ है और मैं जो इस प्रस्ताव का समर्थन कर रहा हूं, इसकी ताईद कर रहा हूं, मेरे पीछे भी रेड्डी है, तो यह तमाम इस कायदे के कुछ खिलाफ है। इसके लिए आईस्ता-आईस्ता हमको ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए जिससे कि समाज में यह पता न लगे कि यह किसी खास जाति से या मजहब से संबंध रखता है। ऐसे तो आप देखिए, मुहम्मद, अशरफ, मि. कुमार और राम प्रसाद, इन नामों से ही पता लग जाता है कि यह मजहब का आदमी है।

इसको कैसे दूर किया जाए, इसके बारे में तो सोचना है--तो किसी न किसी नाम से तो पता चल ही जाता है--जाति को छोड़ दीजिए--जैसे रेड्डी है, मिश्र है, कपूर है। यह जब छोड़ देंगे, तो जो नाम बचा रह जाएगा, अगर सत्यनारायण, आदि-नारायण या राम प्रसाद के पीछे जो नाम लगे हुए हैं अगर उनको छोड़ दीजिए, तो भी पता चल जाएगा कि वह किस मजहब का है। इसी तरह से मोहम्मद खान, अशरफ खान को भी लें। तो यह नाम जो हैं, इससे पता चल जाएगा कि किस पर्टिकुलर मजहब के आदमी हैं। जो आदमी किसी मजहब में यकीन नहीं रखते, यह पता लगाना मुश्किल है कि वे किसी मजहब में यकीन नहीं रखते। लेकिन जिस भावना से यह प्रस्ताव लाया गया है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमको समाज के अंदर एक ऐसा वातावरण पैदा करना है, जिससे समाज के नाम पर हो या मजहब के नाम पर हो, झगड़े-दंगे न हों, समाज के अंदर फूट न हो।

यह प्रजातन्त्र है। हम आज चुनाव के अंदर देखते हैं कि जाति के नाम पर वोट लेने का प्रयास किया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। महात्मा गांधी और जो लोग आजादी की लड़ाई लड़े, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े, तो किसी ने यह कभी नहीं सोचा था कि उनको मंत्री बनाना है या पार्लियामेंट का मेम्बर बनना है और इस जाति प्रथा का या मजहब का अपने फायदे के लिए उपयोग करना है, केवल स्वतंत्रता के लिए लड़ते रहे, सोचते रहे और देश के लिए सारा कुछ उन्होंने कुर्बान कर दिया है। लेकिन आते-आते ऐसा वातावरण बदल गया, जिससे देश को भूल गए, समाज को भूले और केवल अपने बारे में सोचने लगे, अपने फायदे के लिए समाज का इस्तेमाल करने लगे, मजहब का इस्तेमाल करने लगे, सब चीजों का अपने लिए उपयोग करना शुरू किया। लोगों में यह बुराई आ गई है और इसे दूर करना चाहिए।

आज समाज के नाम पर वोट मांगने लोग जाते हैं, धर्म के नाम पर वोट मांगने जाते हैं। इसे दूर किया जाना चाहिए। देश की एकता, समाज की एकता को बरकरार रखने के लिए, स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, एसी तमाम चीजों को भूल जाना चाहिए और देश की एकता के लिए काम करना चाहिए। आज समाज के नाम पर, मजहब के नाम पर जो झगड़े या समस्याएं पैदा की जा रही हैं, इनको दूर करना चाहिए।

तो इस प्रस्ताव का जो उद्देश्य है वह बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मैं यही कहूंगा कि हमको इस पर सोचना चाहिए कि इस प्रस्ताव का जो भाव है, स्पिरिट है, इसको किस तरह से अमल में लाया जा सकता है, अपने देश की मजबूती, देश की एकता, समाज की एकता को कैसे मजबूत किया जा सकता है।

श्री एस. एस. अहलूवालिया (बिहार) : हमारा देश विश्व में एक बहुत बड़ी मिसाल है, जिसमें सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्षता और विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र चलता है। हमारे पूर्व कुछ माननीय सदस्यों ने अपने

प्रस्ताव में मजहब और जाति को एक ही डोर से बांधने की कोशिश की। लेकिन कुछ ऐसा नहीं है। मजहब और जात-पांत के अलग चीजें हैं। इतिहास साक्षी है, इतिहास गवाह है कि जब-जब हम लोगों ने जात-पांत की बात की है, हमें गुलामी की जंजीरों में जकड़ना पड़ा। जब-जब हमने जात-पांत के मसले उठाए हैं, बाहरी लोगों ने हमको कुचल डाला। मुगल सल्तनत का इतिहास साक्षी है कि जिस वक्त पूरे हिन्दुस्तान में छोटे-छोटे रजवाड़े, राजे-नवाब जात-पांत के हिसाब पर आपस में लड़ाई लड़ रहे थे, उसका फायदा लेकर हम लोगों पर हजारों साल तक राज किया। उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने हम लोगों को जात-पांत की लाइन पर ही बांटे रखा और हम पर राज करते रहे, हम पर शासन करते रहे। यह हिन्दुस्तान, सोने की चिड़िया, शोषण से मुक्त होने के बावजूद भी उस जात-पांत की जंजीरों से आज तक मुक्त नहीं हो सकी है। आज मुक्ति प्रदान करने के लिए आप सब एक निर्णय लेने जा रहे हैं। तो आपको सोचना है कि आने वाली पुश्तें फिर किसी गुलामी की जंजीरों में न जकड़ जाएं। वह कोशिशें, जो कभी पंजाब में, कभी तेलंगाना मूवमेंट के हिसाब से, कभी डी.एम.के. के वहां पर, कभी महाराष्ट्र में, कभी गुजरात में नवनिर्माण समिति के हिसाब से, कभी बिहार और कभी यू. पी. में उभर कर आती है और हमें फिर दुश्मनों की आग के अंगारों में धकेल दिया। हमारे माननीय सदस्य मिश्र जी ने प्रश्न किया कि सिख किस जात के हैं . . .

श्री चतुरानन मिश्र : मैंने सिंह टाइटिल के बारे में कहा।

श्री एस. एस. अहलूवालिया : मैं उसी का जवाब देता हूं।

श्री चतुरानन मिश्र : मैंने कास्ट नहीं कहा।

श्री एस. एस अहलूवालिया : 1699 में जिस वक्त गुरु गोबिन्द सिंह ने आनंदपुर साहब में खालसा रूप सजाया, सिख सजाए, उसके पहले सिंह नहीं थे। कहा जाता था अमुक मंत्र तुमने सुना तो तुम्हारे कान में गला शीशा पड़ जायेगा। उस वक्त ब्राह्मणवाद था, क्षत्रियवाद था, कायस्थवाद था, शूद्रों की इज्जत नहीं थी। डाउन-ट्राडेन की आवाज को उठाने के लिए उनको सिंह सजाया गया। जो पांच प्यारे पहले उन्होंने बनाये उनमें कोई हरिजन था, कोई नाई था, कोई धोबी था, कोई चमार था। उन सबको गुरु गोबिन्द सिंह ने गले लगा कर सिंह की उपाधि दी। इसीलिए उनके उपासक आज अपने नाम के पीछे सिंह लिखते हैं। यह इसलिए किया गया था क्योंकि मुगल साम्राज्यवाद के समय मूंछ नहीं रख सकते थे, कृपाण धारण नहीं कर सकते, घोड़े पर चढ़ नहीं सकते क्योंकि सिर्फ तुर्क ही चढ़ सकते थे। उसके खिलाफ जिहाद करने के लिए एक आवाज उठाई गई थी और यह सिंह की उपाधि दी गई थी। आज हमारा मुल्क धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर बर्बाद होने जा रहा है। आज कहीं हरिजन मर जायं, ब्राह्मण मर जायं तो उसको लेकर कम्यूनल राइट हो जायेगा। यह तभी ठीक हो सकता है जब हम नेशनल इन्टीग्रेशन के स्ट्रिंग्स को मजबूत करने के लिए अपने नाम के पीछे जात-पांत का जो तरीका है उसको बन्द करें और हम सब भारतीय कहलाएं। आज हम इंडीवीजुवलिस्ट हैं, अपना परिचय एज इंडीवीजुअल आइडेंटिटी देते हैं। आज हम भारतीय कहलाने में शर्म महसूस करते हैं। ब्राह्मण, राजपूत, कायस्थ, यादव और हरिजन कहलाने में फख्र महसूस करते हैं। ऐसा करने से हमारा देश मजबूत नहीं हो सकता, बल्कि कमजोर होगा। देश को मजबूत करने के लिए ऐसे बिलों की आवश्यकता है और इसे मेरा पूरा समर्थन है। सरकारी कामों में इनकम टैक्स रिटर्नों में या एम्पलायमेंट एक्सचेंज के फार्मों में कास्ट और सब-कास्ट लिखा जाता है, उसको मिटा देना चाहिए। धन्यवाद।

श्री चतुरानन मिश्र : उपसभाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस बिल का यह उद्देश्य है कि समाज से जात-पांत खत्म की जाये, मैं उसके पूर्णतया पक्ष में हूं। एक कम्युनिस्ट के लिए इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है क्योंकि वह सम्पूर्ण मानवता को एक समझता है।

[श्री चतुरानन मिश्र]

मैं समझता हूं कि कुछ लोग अपने इतिहास को गलत ढंग से समझ रहे हैं। टाइटिल लगाना भारतीय इतिहास की पुरानी बात नहीं है। यह मध्य काल में हुआ है। राम का नाम राम ही था, सिंह नहीं था, कृष्ण का नाम कृष्ण ही था, वशिष्ट का नाम वशिष्ट ही था, विश्वामित्र का नाम विश्वामित्र ही था। यादव, मिश्र, ठाकुर पुराने लोग नहीं लगाते थे। उस वक्त भी जात-पांत थी। यह भारतीय समाज में बहुत गहरी नींव डाले हुए हैं। और इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। मैंने जब सिख टाइटिल सिंह की बात कही तो मुझे यह मालूम था—जैसा कि अभी हमारे माननीय सदस्य अहलूवालिया जी ने कहा है कि गुरु गोविन्द सिंह जी ने जो किया था वह ठीक था, लेकिन मैं उनसे एक ही मतभेद रखता हूं कि मुगल सल्तनत का पूरा पीरियड मैं विदेशी हुकूमत का नहीं समझता। वह बाहर से आये जरूर थे हमारे मुल्क पर हमला करके, लेकिन अब वे यहां रह गये और जब उनका राज हो गया तो जैसे हम यहां हैं वैसे ही वे हो गये। ऐसी बात नहीं है कि वह पूरी की पूरी अवधि विदेशी शासन काल माना जा सके (व्यवधान) वह बाहर से जरूर आये लेकिन उन की तुलना अंग्रेजों से नहीं की जा सकती। अंग्रेज हमारे देश की दौलत लूट कर इंग्लैंड ले जाते थे। लेकिन मुगल बादशाह यहीं रह गये। उन्होंने हमारी भारतीय सभ्यता में कुछ कांस्ट्रीब्यूट किया है और हमारी एक नयी सभ्यता की नींव डाली। अगर उर्दू भाषा की बात आप लें तो वह भारत की ही एक भाषा है। वह किसी मुस्लिम देश की भाषा नहीं है। इसलिये मैं अपने मित्र से कहना चाहूंगा कि वे भारतीय इतिहास को सही ढंग से समझने की कोशिश करें। आज ही साम्प्रदायिक मामलों पर हमारे गृह मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया उसमें अशोक का नाम है, लेकिन अकबर का नाम नहीं है। अकबर भी भारतीय परंपरा का था। वह अरबी परंपरा का व्यक्ति नहीं था और अकबर का योगदान भारत में हिन्दू मुस्लिम एकता के लिये किसी से कम नहीं था। अपने युग में उस ने बहुत बड़ा काम किया था। लेकिन शासक पार्टी के मुंह से अकबर का नाम नहीं निकलता। आप हमारे नये सदस्य हैं और हम आपका सम्मान करते हैं लेकिन मुगल पीरियड को विदेशी सल्तनत का पीरियड नहीं समझिये। वह हमारे इतिहास का अंग है। (व्यवधान) बिना अकबर के गुण की अकबर रोड यहां है। (व्यवधान) मुगल दरबार यहां है या नहीं यह मैं नहीं समझता, लेकिन अगर आप को कहना हो तो आप आजाद हैं। हमारा ख्याल है कि इस तरह के टाइटिल को हटाने की शुरूआत तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन इसके पहले इस देश में क्या हो रहा है इस को हमारी सरकार को समझने की कोशिश करनी चाहिए।

जाति प्रथा बहुत दिनों से कई हजार वर्ष से चल रही है। पता नहीं हमारे बाप दादों ने किस परिस्थिति में जाति प्रथा को यहां चलाया। इस का प्रचलन वैदिक काल में भी था और आप जानते हैं कि उस समय इस को वर्ण व्यवस्था कहा जाता था। ठीक ही माननीय सदस्य ने कहा कि उस समय पंडितों ने ब्राह्मणों को ब्रह्मा के मुंह से निकाला, क्षत्रियों को उसके बाहु से निकाला, वैश्यों को जंघा से निकाला और शूद्रों को पैर से निकाला। इस प्रकार का हमारे ऋग वेद में श्लोक है। इसलिये मैंने कहा कि प्रारम्भ में हमारे बाप दादों ने जो भी सोच कर उचित समझा हो, इस को चलाया लेकिन अब हमारे युग के लिये यह उचित नहीं है। चाहे शंकराचार्य जी ने कहा हो या किसी और ने कहा हो कि शूद्र अगर वेद की बात सुन लें तो उनके कान में गरम शीशा डाल दिया जाये या जिस जीभ से श्लोक बोलें उसको काट डाला जाये, यह बात मनुस्मृति में लिखी है. लेकिन आज हम मनुस्मृति के बल से इस देश को नहीं चला सकते। वह हमारे इतिहास का अंग है। हमारे इतिहास में रावण भी हुआ है और राम भी हुए हैं। तो आपको निश्चय करना है कि आप रावण की परंपरा चलायें या कि राम की। कुछ लोग रावण की परंपरा पर चल सकते हैं। वह भी इतिहास का अंग है। तो सही ढंग से समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब समाज में ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा अत्याचार

हो गया तो सब से पहले जो हिन्दू व्यवस्था में बगावत हुई उसे भगवान बुद्ध ने किया। वैसा हिन्दू सिस्टम में, ब्राम्हनिकल आर्डर में विस्फोट कभी नहीं हुआ जैसा बौद्धकाल में हुआ और इसने सारे भारत को झकझोर दिया और बौद्ध धर्म का प्रचार हो गया और ब्राम्हनिकल आर्डर समाप्त हो गया। लेकिन फिर ब्राम्हनिकल आर्डर वाले भारत में चढ़कर चले आए।

3 P. M.

हमारी आजादी आई, इसके लिए आंदोलन हुआ, बहुत से देश दुनिया के आजाद हुए लेकिन यह विशेषता भारत की है कि हमारे बाप-दादाओं ने जब स्वतंत्रता का आन्दोलन चलाया जिसमें उन्होंने नये भारत का निर्माण करने का नारा दिया, तो उन्होंने कहा कि जात-पांत को खत्म करो। आजादी का आंदोलन शुरू किया तो कहा कि महिलाओं को बराबरी का स्थान दो। हरिजनों को बराबरी का स्थान दो। छुआछूत खत्म करो। यह गांधी जी का मुख्य नारा था। प्रारम्भ में आजादी के आंदोलन ने खिलाफत आंदोलन को भी साथ लिया और आर्य समाज को भी साथ लिया। यह अनुभव किया गया कि यहां धार्मिक विभेद पैदा किया जा रहा है तो उन्होंने कहा---ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग आजाद हो गए। आजादी के बाद संविधान बना, नेहरू जी के नेतृत्व में, डा. अम्बेडकर के जरिए संविधान बना जो कि माडर्न है, आधुनिक है। गांधी जी मारे गए और जात-पांत जोड़ने, विभिन्न धर्मों के सम्मेलन करने का कार्यक्रम बंद हो गया। स्वतंत्रता मिल गई, प्रजातंत्र आ गया, लेकिन राजनीति के जरिए जात-पांत को नया टानिक मिल गया। जात-पांत व्यवस्था रक्तहीन हो गयी थी, लेकिन सहसा यह डेमोक्रेटिक सिस्टम आकर, राजनीति इसमें घुसकर जाति प्रथा को फिर से खून दे दिया गया है और वह इतनी बलशाली हो गई है कि हमको खाने पर तुली हुई है।

ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सिस्टम के आने की वजह से जात-पांत बढ़ी है? . . .

श्री चतुरानन मिश्र : थोड़ी सी कृपा कीजिए, **जरा धैर्य रखिए।** जब डेमोक्रेटिक सिस्टम आ जाता है तो गुटों की ताकत आने लगती है और जात-पांत की बनी बनाई व्हीकल उनको मिल जाती है। राजनीति में जाति या धर्म का प्रवेश हो जाता है। चार साल तक हम लोग सेक्यूलर रहते हैं और पांचवें साल में सभी माननीय सदस्य जात-पांत और सांप्रदायिकता में विश्वास करने लगते हैं। आप यादवों को खोजते चलते हैं, हम ब्राह्मणों को खोजने चलते हैं। वे राजपूतों को खोजते हैं। यह राजनीति का काम हो गया है, राजनीतिज्ञों का काम है कि चार साल तक सेक्यूलर रहो और पांचवें साल में कास्टिज्म पर आ जाओ। इस अर्थ में हमने कहा कि प्रजातंत्र और राजनीति ने इसे नया टानिक दिया है।

मान्यवर, सिख मजहब का जन्म हुआ था अत्याचार को समाप्त करने के लिए, लेकिन सिख मजहब के नाम पर जो पंजाब में हो रहा है गोबिन्द सिंह जिंदा होते तो आतंकवादियों के खिलाफ वही तलवार निकाल लेते जिससे उन्होंने मुसलमान बादशाह के आततायियों का मुकाबला किया था। आज देश में गांधी जी की तरह होगा कोई जो नवाखाली जा सकेगा 75 करोड़ तो आदमी हैं? आप और हम सभी उछल रहे हैं कि कैसे गद्दी पर बैठ जाएं। आज कौन है जो समाज में नई चेतना पैदा कर रहा है? आज कौन है जो राष्ट्रीय आंदोलन के इस अधूरे काम को पूरा कर रहा है? एक नए सांस्कृतिक उत्थान के लिए, एक नई कल्चरल रेवलूशन के लिए, संपूर्ण समाज को एक करने के लिए जो व्रत लिया गया था जिस का स्वरूप हमारे कोंस्टीट्यूशन में है, उस आन्दोलन को आगे बढ़ाने का काम गांधी जी की मृत्यु के बाद ठप सा पड़ गया। और संविधान का रिट कचहरियों में है। उसकी बहस विधान सभा और विश्वविद्यालयों में है। वह हमारे जीवन की शैली नहीं बन सकी है और आज समाज में जातीय या सामाजिक तनाव इसी कारण से है। इसे रोकना है तो संविधान को जीवन की शैली बनाना है और भारत के कम्पोजिट कल्चर के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन द्वारा प्रारम्भ अधूरी सांस्कृतिक क्रान्ति को पूरा करना है। उसके लिए जन आन्दोलन

[श्री चतुरानन मिश्र]

खड़ा करना है। आप कहते हैं कि टाइटल हटाना चाहिए। मैं पूर्णतः सहमत हूं। मैंने व्यंग्य के तौर पर कहा था कि मूवर ने अपना टाइटल रखा है आदि नारायण रेड्डी। मैं उनकी बात का पूरा समर्थन करता हूं वह अच्छा बिल लाये हैं लेकिन रेड्डी उन्होंने रखा हुआ है। मेरे से किसी ने पूछा कि आप मिश्र टाइटल क्यों रखते हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि कम्युनिस्ट बनने के बाद मैंने टाइटल हटाने की सोची लेकिन हम को लगा कि इससे लोगों को धोखा होगा। लोग समझ जायें कि हम ने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और हरिजनों के लिए अच्छा होगा। अगर टाइटल हटा कर हरिजन में मिल जाए तो उनका स्कालरशिप हम भी बांटने लगेंगे। बड़ी धूर्त जाति है, ऊंचे लोगों की जो जाति है बड़ी धूर्त है। इससे सावधानी बरतने की जरूरत है। हमारे मां-बापों ने किया है इसलिए आपको सावधान करते हैं कि इस फेरे में मत पड़िये। बहुत सी राजनीतिक पार्टियां बन रही हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता। केरल में बहुत विद्वान लोग हैं। नायर जात की पार्टी बनी है जो न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी कहलाती है। दूसरी बात यह है कि जो मजहब का टाइटल है उनको हटाने के लिए क्या हम अभी चर्चा करें? हम इस पक्ष में हैं, जैसा मैंने अभी आपको कहा कि हम किसी मजहब को मानने वाले नहीं हैं। शायद किसी को गलतफहमी नहीं होगी। हमारे बाप-दादा ने बहुत मजहब-धर्म कर लिया है हमारे कोटे में कुछ बचा नहीं है। लेकिन आज अगर हम कहें कि जहां पर सुप्रीम कोर्ट का एक साधारण फैसला डाइवोर्स्ड महिला को मैन्टेनेन्स दिलाने का नहीं चल सका। सारे देश में हंगामा खड़ा हो गया। एक नौजवान प्रधान मंत्री टिक नहीं सका और इसलिए तुरन्त बिल लाकर विपरीत कानून बना दिया। वह इसके पक्ष में नहीं थे लेकिन करना पड़ा। आज अगर हम कहते हैं कि मुसलमानों का टाइटल हटा दिया जाए तो क्या वे बर्दाश्त करेंगे? आपने लिखा है रिलिजस टाइटल हटा दिया जाए। क्या नाम पड़ेगा उनका? इसलिए सोच समझ कर कीजिए।

एक बात और कहना चाहता हूं कि भारतीय हिन्दू धर्म के अन्दर भगवान बुद्ध की बाद पहली बार ऐसा हो रहा है, एक आन्तरिक विद्रोह हो रहा है। मेरे वाक्य पर ध्यान दीजिए--आन्तरिक विद्रोह हो रहा है। हिन्दू धर्म पर बाहर से बहुत हमले हुए हैं--चाहे इस्लाम का हुआ हो, चाहे क्रिश्चनिटी का हुआ हो, चाहे हूण का हुआ हो और चाहे शक का हुआ हो लेकिन हिन्दू धर्म बरकरार रहा। हजारों वर्ष तक इसे आक्रमणों को सहने की क्षमता हो गयी। बिना सरकार के यह धर्म रहने लगा है। इसको सरकारी मदद की जरूरत नहीं है। यह यों ही जिन्दा रहता है। इस्लाम के पीछे हुकूमत की तलवार आई। लेकिन सबसे पहले इस्लाम जो भारत में आया, केरल में जो मुप्लाज आज हैं वह तलवार की बदौलत नहीं आया था वह इस्लाम की बदौलत आया क्योंकि इस्लाम एक अच्छे ढंग का फिलोसिफिकल आइडियाज देता था। जो अंग्रेज आये और क्रिश्चन बनाना शुरु किया उन्होंने हुकूमत के बल से क्रिश्चन बनाना शुरु किया लेकिन जो सीरियन चर्च इंडिया में आए, केरल में या दूसरे हिस्सों में बिना किसी हुकूमत के स्वयंमेव अपने फिलोसिफिकल या आइडियोलोजिकल ताकत के चलते क्रिश्चन बने। इसलिए मैंने कहा कि इतिहास का ठीक ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। यह जो हिन्दू धर्म है वह हजारों वर्षों तक बिना किसी सरकारी मदद के रह गया। शासक इसको बरबाद नहीं कर सके। आप कहेंगे कि गाय इनकी धर्म है इसलिए सब गाय को मार डालो तो वे पीपल के पेड़ की पूजा करने लगेंगे। पीपल का पेड़ काट देंगे तो वे बरगद के पेड़ की पूजा करने लगेंगे और जब बरगद के पेड़ को काट दो तो वे पानी में चले जायेंगे और सूरज की पूजा करने लगेंगे। उसको प्रणाम करने लगेंगे। क्या आप सूरज को तोड़ देंगे? इसलिए रिलिजस सेंटीमेंट अपनी जगह लिए हुए है। फार द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री आफटर बुद्धा इस धर्म में आन्तरिक संकट पैदा हुआ है। अब बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग उठने लगे हैं, वे सम्मान मांगते हैं। अच्छा है। भारतीय सांस्कृतिक विकास के लिए यह जरूरी है। वह समानता के लिए आगे आना चाहते हैं यह

अच्छी बात है। हमारे संविधान उनकी मदद में है। जितने भी बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, हरिजन हैं संविधान उनकी मदद में है बशर्ते कि सरकार उस संविधान को प्राण दे, दांत दे, ताकत दे। नहीं तो अपनी ताकत किसी भी संविधान की होती नहीं है। आज यह संविधान हमारे जीवन की शैली बने या कार्यशैली बने तो हम सब समस्याओं को निपटाने के लिए आगे बढ़ेंगे लेकिन सरकार को इसकी फिक्र नहीं है। दूसरे आज गांधी जी भी नहीं हैं जो अधूरी सांस्कृतिक क्रान्ति को पूरा करें। इसलिए भारतीय समाज में यह संकट पैदा हुआ है। पिछड़ी जात के नेता आरक्षण मांगते हैं। हम इस बात को मानते हैं कि आरक्षण की मांग जायज है। लेकिन यह भी जानते हैं कि आरक्षण की मांग करने वाले तमाम लोग बैकवर्ड क्लास और कास्टिजम को समाप्त करना नही चाहते हैं। वे इसको परपेचुएट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं ताकि उनको राजनीति में मदद मिले। हम इस बात से अवगत हैं कि वे ऐसा करना चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से जीवन की शैली से बने, इस देश में कल्चरल रिवोल्यूशन हो। अगर आप सचमुच में चाहते हो कि इस देश से जाति प्रथा समाप्त हो तो आप संविधान को वाजिब जीवनशैली बनाइये। इसके लिए संघर्ष कीजिये, आंदोलन कीजिये। लोगों को इसके लिए सहमत कीजिये। इस देश को अपार गरीबी को दूर कीजिये। उनको सम्मान-जनक स्थान दीजिये। बिना हरिजनों को ऊंचा स्थान दिये हुए, बिना बैकवर्ड क्लासेज को ऊंचा स्थान दिये हुए, बिना सम्पूर्ण देश को ऊंचा उठाये हुए, यह राष्ट्र तरक्की नही कर सकता है। सिर्फ टाइटल काट देने से इन समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न पर गहराई से विचार किया जाये ताकि हम जो चाहते हैं, गांधी जी जो चाहते थे, हमारे देश का राष्ट्रीय आन्दोलन जो चाहता था, उस अधूरे कार्य को हम पूरा कर सकें। आज आप पूरे राष्ट्र का, देश का आधुनिकीकरण कीजिये, देश को आगे बढ़ाइये ताकि हम और भी आगे जा सकें। यह कहते हुए और अपने भाषण को समाप्त करते हुए, एक बार मैं फिर कहना चाहता हूं जिन उद्देश्यों के लिए यह बिल लाया गया है उनका समर्थन करता हूं। टाइटल हटना चाहिए और सिर्फ लिफाफा ही नहीं जाना चाहिए, मजबून भी जाना चाहिए। ऐसा न हो कि लिफाफा तो चला जाय, लेकिन मजबून न जाय। यही खतरा था, इसलिए मैंने यह निवेदन किया है।

श्री पशुपति नाथ सुकुल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक की भावना का प्रश्न है, मैं इसका पूरे हृदय से समर्थन करता हूं। लेकिन जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, जैसा हमारे मित्र श्री मिश्र जी ने कहा, मैं भी इसको बहुत व्यावहारिक नही मानता हूं और यह व्यावहारिक नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जाति और धर्म, दोनों को इसमें लाया गया है। खाली जाति को लाया गया होता तो बात समझ में आती। खाली धर्म की बात होती तो वह भी समझ में आ सकती थी। लेकिन इसमें जाति और धर्म, दोनों को मिला दिया गया है। आपने इसमें कहा है कि रिलीजियस टाइटल और कास्ट-टाइटल, इन दोनों को हटा दिया जाय। मैं इसको व्यावहारिक नहीं मानता हूं। आज के परिवेश में यह व्यावहारिक नहीं हो सकता है। काफी हद तक मैं आपके विचारों से सहमत हूं, लेकिन जैसा अभी हमारे श्री अहलुवालिया जी ने कहा कि आज आवश्यकता इस बात की है कि धर्म और जाति को अलग करके जाति और जातिवाद को समाप्त किया जाना चाहिए। लेकिन धर्म को हम कैसे समाप्त कर सकते हैं? जब एक देश में तरह तरह के धर्मों के लोग रहते हैं तो इसका पता लगना चाहिए कि कौन किस धर्म का है। आप जब जनसंख्या की गणना करते हैं, जन-संख्या का आंकलन करते हैं तो इस बात का पता चलता है कि हमारे देश में कितने हिन्दू हैं, कितने मुसलमान हैं, कितने ईसाई हैं, कितने जैन हैं और कितने सिख हैं। वास्तव में देखा जाय तो धर्म में कोई खराबी नहीं है। जहां तक हमारे हिन्दू धर्म का सवाल है, वहां तो कहा गया है कि यतो धर्मस्ततो जयः। जहां धर्म है वहीं जय और विजय है। लेकिन हम धर्म के विकृत मायने समझने लगे... **(व्यवधान)**।

श्री राम अवधेश सिंह (बिहार) : धर्म की जिस बात को आप अपने भाषण में कह रहे हैं, क्या उसी धर्म में इस श्लोक का भी प्रयोग किया गया है ?

श्री पशुपति नाथ सुकुल : आपको अगर इस विषय पर बहस करनी है तो लाबी में आ जाइये, हम बहस कर लेंगे। आप अभी जल्दी में इतने उत्तेजित मत होइये। अभी आप नये-नये आए हैं। कुछ मनन कीजिये।

श्रीमन्, मैं कह रहा था कि जाति और धर्म, दो अलग अलग चीजें हैं। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मैं श्री अहलूवालिया जी से इस बात में सहमत नहीं हूं कि ब्रिटिश सरकार ने हम लोगों को जात-पांत में बांट दिया। वास्तव में ऐसा नहीं है। उन्होंने जात-पात का उतना फायदा नहीं उठाया जितना फायदा धर्म या मजहब का उठाया। उन्होंने दो मजहबों के बीच में झगड़े करवाये। जहां तक वर्ण व्यवस्था का सवाल है, जैसा मिश्र जी ने कहा, यह तो हमारे देश में हजारों वर्षों से चली आई है। हमारे समाज में वर्ण व्यवस्था थी जिसमें सामाजिक दायित्वों का बंटवारा था कि कौन क्या काम करेगा और उसी हिसाब से वह जाना जाता था। लेकिन आज स्थिति बहुत कुछ बदल रही है। आज जाति के पीछे तो टाइटल लगते हैं और जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य कह रहे थे सिंह से आप किसी जाति का पता नहीं लगा सकते। आज चरणसिंह भी अपने को सिंह लिखते हैं, हमारे जगजीत सिंह अरोड़ा भी अपने को सिंह लिखते हैं, आज बिहार के जो भूमिहार ब्राह्मण हैं वे भी अपने को सिंह लिखते हैं और नत्था सिंह जी भी अपने को सिंह लिखते हैं। इसलिये मैं पूछना चाहता हूं कि सिंह लिखने से आपको क्या परेशानी है? अगर हमारे अछूत भी सिंह हो सकते हैं, ब्राह्मण भी सिंह हो सकते हैं और हमारे सरदार भी सिंह हो सकते हैं और दूसरे भी हो सकते हैं तो उस सिंह शब्द को लिखने से समाज-वादी समाज की रचना में क्या गड़बड़ी आयेगी ? मैं नहीं समझता हूं कि इससे देश के अंदर कोई गड़बड़ी आयेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब चौधरी चरणसिंह की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी थी, पहली बार, जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर क्रांतिदल बनाया और वहां उनकी संविद सरकार बनी, जिसमें हमारे विकल जी भी मंत्री थे, तो उस सरकार ने यह निर्णय लिया था कि जितनी भी ऐसी शिक्षण संस्थायें हैं जिनके साथ किसी जाति का शब्द जुड़ा है तो उसमें से उस जाति वाले नाम को निकाल देंगे। उन्होंने उसको किया। लेकिन क्या इससे जाति-पांति समाप्त हो गयी ? मैं नहीं समझता कि उससे ऐसा हुआ। अगर आप भी ऐसा करने की बात कहें तो इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारे यहां गांधी जी, नेहरू जी, पटेल सब के नाम में उनका जातिवाचक नाम लगा हुआ है, गांधी लगा हुआ है, नेहरू लगा हुआ है, पटेल लगा हुआ है लेकिन ये ही लोग इस देश में समाजवाद के प्रवर्तक रहे हैं। इन्हीं लोगों ने इस देश में शैडयूल्ड कास्ट के लोगों के लिये आरक्षण करवाया। बाबू राजेन्द्र प्रसाद और इन लोगों ने यह सारी व्यवस्था कराई। क्या नेहरू नाम के आगे लगने के कारण उनके समाजवाद में फर्क आ गया। गांधी जी की कल्पना स्टेट लेस सोसाइटी की थी जिस कल्पना को कम्यूनिस्ट लोग करते हैं। उसी कल्पना को गांधी जी भी करते थे। वे जाति विहीन, धर्म विहीन, स्टेट विहीन, राज्य विहीन, शासन विहीन समाज की भी कल्पना करते थे। लेकिन ये चीजें अभी व्यावहारिक नहीं हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा जातिवाचक शब्द लगाने से हमारे समाज पर कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। जैसे अभी हमारे मिश्रा जी कह रहे थे, वे मिश्रा हैं, ब्राह्मण हैं लेकिन वे कम्युनिस्ट हैं। उनको भगवान पर विश्वास नहीं है, कम्युनिस्टों का कोई धर्म नहीं होता।

खान विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : उनका मानव धर्म होता है।

श्री पशुपति नाथ सुकुल : उनका धर्म ईश्वर पर आधारित नहीं होता। उनका धर्म मानव पर आधारित होता है। मानवीय जी आवश्यकतायें हैं वह उस पर आधारित

हैं, लेकिन मिश्रा टाइटल की वजह से उन पर कोई फर्क नहीं पड़ा ।

श्री राम अवधेश सिंह : धर्म में ईश्वर को मानने की क्या जरूरत है ? बुद्ध ने कभी माना नहीं ।

श्री पशुपति नाथ सुकुल : लेकिन वे हमारे भगवान हो गये । आज उनका नाम ही जपकर लोग उनकी पूजा करते हैं ।

श्री राम अवधेश सिंह : आपने उनको भगवान बना दिया ।

श्री पशुपति नाथ सुकुल : हमने क्यों बना दिया । मैं आज से 25 सौ वर्ष पहले पैदा नहीं हुआ । मैं नहीं बना रहा हूं । मैं उनकी पूजा नहीं करता हूं । उनको एक महान पुरुष मानकर उनको देखता हूं ।

. . . **(व्यवधान)** . . .

लेकिन इस देश ने उनको भगवान बना दिया और वे चौबीस अवतार के अन्दर आ गये ।

श्री राम अवधेश सिंह : आप लोगों ने बना दिया ।

श्री पशुपति नाथ सकुल : आपने दर्शन पढा होगा । फिलासफी में एम. ए. में यह निबंध लिखने को आता है कि जगतगुरु शंकराचार्य प्रच्छन्न बौद्ध थे । जो हिन्दू धर्म के एक महान आचार्य हुए उनके बारे में लिखने के लिये आता है कि वे प्रच्छन्न बौद्ध थे यानि अद्वैत की भावना दोनों में था और अद्वैत जब आता है तो उसमें आप भगवान को भी एलिमिनेट कर सकते हैं । अगर हम एक भाव की कल्पना कर सकें आप में, अपनी सारी सृष्टि में तो हम भगवान की भी बात न करें तो भी काम चल जायेगा । एक ही तत्व है दूसरा है ही नहीं । इसीलिये शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध कहा जाता है । मैं तो यह कह रहा था लेकिन आप बीच में खड़े हो गये, एक मेव द्विवतीयो नास्ति । इसलिये मैं जो यह कह रहा था कि यह जाति-पांति का टाइटल मिटा देने मात्र से कुछ नहीं होगा । अगर आप नामों के आगे मिश्रा, शुक्ला, यादव हटा दें तो उससे यह नहीं होगा । धर्म का जहां तक सवाल है अब आपने कहा और एक साथी अभी कह रहे थे कि मुसलमानों के नाम से खान हटा दिया जाए, सिद्दिकी हटा दिया जाए या खान हटा दिया जाए तो क्या होगा । हिन्दुओं में तो ठीक है यदि चतुरानन मिश्र जी आपने नाम से मिश्र हटा दें तो काम चलेगा लेकिन मुसलमान भाइयों के केस में तो पूरा का पूरा नाम ही बदलना पड़ेगा । तब जाकर के आपको पता चलेगा कि धर्म . . . **(व्यवधान)** प्रोशनल टाइटल की बात भी नहीं कर रहा हूं । मैं सरकार के टाइटलों की बात नहीं कर रहा हूं । पदम श्री और पादम विभूषण की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जाति और धर्म के टाइटल की बात कर रहा हूं । **(व्यवधान)**

श्री चतुरानन मिश्र : आपको ज्यादा स्कालरशिप मिलेगा यदि सुकुल हट जाएगा । **(व्यवधान)**

श्री पशुपति नाथ सुकुल : मैं आपसे सहमत हूं । अगर टाइटल हटा दें तो जो आरक्षण का मामला है वह खटाई में पड़ जाएगा । तमाम लोग जो हैं आज नहीं करेंगे लेकिन एक पीढ़ी दो पीढ़ी के बाद क्लेम होने लगेगा । **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री पवन कुमार बांसल) : राम अवधेश जी अभी आपकी मेडन स्पीच होनी है । I will request you not to interrupt.

श्री पशुपति नाथ सुकुल : इस विधेयक में जो सबसे बड़ी बात है, यह विधेयक क्यों लाया गया है । इसके स्टेटमेंट आफ ओब्जेक्ट्स में दिया है कि क्योंकि हमारे देश में साम्प्रदायिक तत्व दंगा करा रहे हैं, हिंसा करा रहे हैं, इसलिए धर्म और जाति की बात हटा दें । जो कारण बताया गया है उसका यह इलाज नहीं है । क्योंकि कुछ लोग बदमाशी कर रहे हैं इसलिए हम सारे जाति या धर्म मिटा दें यह अपने में इलाज नहीं है । हमारी सरकार तो कोशिश कर रही है जहां पर इस प्रकार की बात हो रही है उग्रवादी, साम्प्रदायिक और धार्मिक तत्व हैं वहां पर हमारी पुलिस और प्रशासन काम करती है, सरकार काम करती है

[श्री पशुपति नाथ सुकुल]
लोग पकड़े जाते हैं गिरफ्तार किये जाते हैं और कानून के तहत जो किया जा सकता है वह कोशिश हमारी सरकार करती है सजा दी जाती है। जाति या धर्म मिटाने से न तो उग्रवाद रुकेगा, न साम्प्रदायिकता रुकेगी और न हिंसा रुकेगी न आगजनी या बदमाशी जो हो रही है वह रुकेगी। इसको मिटाने से वह नहीं रुकेगी। इस तरह से हम इसको खत्म नहीं कर सकते हैं। आपको उग्रवादी या एंटी सोशल एलीमेंट्स अर डिवाइसिव फोर्सिज एंटी नेशनल एलीमेंट्स को सूटेबली अंडर दी ला डील करना पड़ेगा। We will have to deal with it squarely but this is not a solution.

हम जात-पात मिटा कर के और यह करके इसको नहीं कर सकते हैं। अब जहां तक जाति की बात है राजनारायण जी ने अपने नाम से सिंह शब्द हटा दिया तो क्या उनके विचार बदल गये वह बदल गए। मैं तो नहीं समझता हूं कि उन्होंने अध्यात्मिक उन्नति की (व्यवधान) उन्होंने कहा कि हम अपने नाम से सिंह शब्द हटा देंगे तो हटाने के बाद भी वह वही रहे। (व्यवधान) मैं समझता हूं जैसे कि हमारे चतुरानन मिश्र जी ने कहा कि अगर लोग हटायेंगे तो और ज्यादा धोखा हो जाएगा, धोखे का काम ज्यादा बढ़ जाएगा। वर्मा और शर्मा दो ऐसे नाम हैं जो तमाम लोग लिखते हैं। शर्मा ब्राह्मण भी लिखता है, शर्मा बढ़ई भी लिखता है, तमाम लोग हैं जो शर्मा लिखने लगे हैं। इसी तरह वर्मा का है हमारे जहां वर्मा कायस्थ भी लिखते हैं, कुर्मी भी लिखते हैं..

श्री चतुरानन मिश्र : लेकिन डर से सुकुल नहीं रखते हैं (व्यवधान)

श्री पशुपति नाथ सुकुल : आप वर्मा या शर्मा कर लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदमी वही है, विचारधारा वही है, सारा करतब वही है, काम वही करता है अच्छा या बुरा, इसलिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। यह तो भारतवर्ष की परम्परा है यह उस हिसाब से चला आ रहा है। जहां पर जो पैदा हुआ है उस हिसाब से उसका नाम रख दिया जाता है। कोई अपना नाम रख करके पैदा नही होता है। मैं समझता हूं कि यह जो विधेयक लाया गया है जो इसका उद्देश्य है वह पूरा हो जाएगा इस विधेयक के जरिये से और इतनी आसानी से आप एक विधेयक पास करके भारतवर्ष के सारे नागरिकों के जाति या धर्म के नाम की टाइटिल्स को मिटा नही सकते हैं। इसीलिए यह प्रेक्टिकल नहीं है। अगर व्यवहारिक विधेयक नहीं है तो फिर हमें इन मामलों में इतनी जल्दबाजी से काम नहीं करना चाहिए। सोच विचार से काम करना चाहिए और जैसा हम कर रहे हैं, हम अपनी सामाजिक व्यवस्था में, वितरण व्यवस्था में और जो हमारे अधिकतर पिछड़े हुए लोग हैं उनको प्रोत्साहन दें, आगे बढ़ने में उनकी मदद करें उनका विकास करायें, जैसा यथासंभव हम कर रहे हैं, जैसा हमारे संविधान में है तब तो फायदा होगा। लेकिन जात-पात के नाम हटा देने से न दंगे रुकेंगे न साम्प्रदायवाद रुकेगा, न धर्म के नाम पर होने वाली विचारधारा रुकेगी और न इस देश में समाजवाद आयेगा। इसलिए मैं यह जरूर चाहता हूं कि जहां तक धर्मनिरपेक्षता का सवाल है, हम धर्म निरपेक्ष राज्य हैं और धर्म निरपेक्ष का यह मतलब है कि तमाम धर्म के लोग यहां रहते हैं लेकिन राज्य का कोई धर्म नहीं है। व्यक्ति का धर्म है, हो सकता है। हम व्यक्ति के धर्म के प्रति आग्रह और प्रेम को मिटा नही रहे हैं। आज रूस में तमाम मुसलमान हैं। वे भी नमाज पढते हैं*, बौद्ध लोग वहां पर हैं। एक वर्ल्ड रिलीजियस कान्फ्रेंस हुई थी, मैं मास्को गया था। मैंने देखा कि कितने धर्मों के लोग मास्को में एकत्रित हैं। हमारे ख्याल से चीन में भी तमाम जगह मिलेंगे।

श्री चतुरानन मिश्र : वहां आप गये थे। वहां जब कोई नया कल कारखाना खोलता है तो उस वक्त मंत्र पढ़े जाते हैं या नहीं ?

श्री पशुपति नाथ सुकुल : वह तो मैंने देखा, वह तो जिसका कारखाना है उसकी उसकी इच्छा के ऊपर है। इसमें कोई सरकारी आदेश नहीं चल सकता है। आपका कारखाना हो तो आप मंत्र पढ सकते हैं, हमारे किसी साथी का हो तो पढ़ सकते हैं ...

श्री चतुरानन मिश्र : अधिक कुछ मंत्र होते हैं या नहीं ?

श्री पशुपति नाथ सुकुल : मंत्र तो आपको इस संसद के सारे भवन में मिलेंगे । आप लोक सभा की लाबी में चले जायें वहां मिलेंगे, राज्यसभा में जायें वहां मंत्र मिलेंगे । इसमें कोई खराबी नहीं है । यह तो हमारी मनोवृति है कि हम किस मनोवृति के साथ काम कर रहे हैं । तंत्र मंत्र यंत्र ये तो भारतवर्ष की बहुत पुरानी परम्परा है और बौद्धों में बहुत अधिक पाई जाती है। इससे समाजवाद नहीं आना है । इससे कोई बुराई नही मिटने वाली है । यह अपने में व्यवहारिक नहीं है । इसीलिए चूंकि यह उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं ।

श्री राम अवधेश सिंह : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले बिल पेश करने वाले माननीय सदस्य को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसा बिल सदन के सामने रखा है। अभी सुकुल जी जो भाषण कर रहे थे मुझको लगता है कि उनका मन थोड़े परिवर्तन के लिए भी तैयार नहीं है । थोड़ा भी सामाजिक परिवर्तन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, इस तरह की छटपटाहट उनके भाषण से टपकती थी। इस बिल से, उपनामों के परिवर्तन से या इनको हटा देने से बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति हो जायेगी और सारी लड़ाइयां और सारे शोषण बंद हो जायेंगे ऐसा मैं भी नहीं मानता हूं । लेकिन उस दिशा में यह एक कदम होगा, एक हल्का सा प्रयास होगा ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सही बात है कि इस समाज में जब हम रास्ते चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं जब तक कोई हमारी जाति के बारे में खासकर हिन्दुओं में--मालूम न हो जाये कि अमुक जाति का है तब तक हम परस्पर सम्मानजनक व्यवहार करते हैं। लेकिन ज्यों ही मालूम हो जाता है, नाम बताने से या और किसी तरह से तो उस आदमी के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। यह आदमी समझता है कि अगर यह छोटी जाति का है, पढ़े-लिखे और सुकुल जी जैसे लोगों की मैं बात नहीं करता ।

श्री पशुपति नाथ सुकुल : राजनारायण में कितना परिवर्तन आया है ?

श्री राम अवधेश सिंह : राजनारायण जी में परिवर्तन इतना आया है, जितना आप में इस जन्म में नहीं आ सकता है । इतनी बात मैं मानता हूं ।

मान्यवर, इतनी बात मैं कहना चाहता हूं कि सुकुल जी जैसे लोगों के मन में नाम सुनने से शायद परिवर्तन आए ऐसे लोगों के, लेकिन उनकी छटपटाहट से मुझे लगता है कि यह जो उपनामों का दुर्ग है यह दुर्ग है शोषण का और यह जो उपनाम है भारत में, जो ब्राह्मण धर्म की देन है, ब्राह्मणवाद की, वह नाम हथियार है शोषण के और बचाव के लिए ढाल भी है । इस देश में आपको यह त्रिपाठी, सुकुल, तिवारी, बंधोपाध्याय, चैटर्जी, बैनर्जी, मुखर्जी--यह सारे नाम बता देंगे कि यह ब्राह्मण है, किसी और चीज की जरूरत नहीं है, और यह गांगुली--इन सारे नामों से पता चल जाएगा कि यह ब्राह्मण है और उसके लाभ जो हैं सामाजिक उनको मिल जाएगा और वह मिलता रहा है, चाहे वह ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी हो या समाज में हो ।

श्री पशुपति नाथ सुकुल : क्या लाभ मिलता है ब्राह्मण को ? . . (**व्यवधान**)

श्री राम अवधेश सिंह : यह हमारी व्यवस्था नहीं है, यह ब्राह्मणों की व्यवस्था है । आपकी समझदारी में फेर है । यह सारी व्यवस्था ब्राह्मणों की देन है और ब्राह्मण का समाज है । आज मनु महाराज का राज चल रहा है । हम लोगों ने सोचा था और पढ़े-लिखे लोग समझते थे कि शायद बाबा अम्बेदकर का बनाया हुआ संविधान, जिसके तहत हिंदुस्तान का राज चलता है, लेकिन अभी भी तीन-चौथाई मैं समझता हूं कि तीन हिस्सा राज मनु का चलता है, गांव में, देहातों में, सड़कों पर, रेल में, डाक-तार जहां भी आप जाइये, बस में भी तीन हिस्सा मनू का राज चलता है ।

मान्यवर, मैं . . . (**व्यवधान**)

श्री रामानन्द यादव : अब अधिक हो गया है, . . . (**व्यवधान**)

श्री राम अवधेश सिंह : वह ठीक नहीं है, अधिक नहीं हुआ है। आप थोड़ा सा उतार दीजिए, गर्म हो गया होगा . . . (व्यवधान) नकलची आप लोग ज्यादा हो न . . . (व्यवधान) गांधी की टोपी लगाते हैं और काम करते हैं बिरला का, टाटा का। . . . (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : गांधी टोपी को बदनाम नहीं करिए . . . (व्यवधान)

श्री राम अवधेश सिंह : मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं अपने मंत्री महोदय को कह रहा हूं। मान्यवर, यह नाम जो टाईटल है, मेरा तो सुझाव यहां तक है कि जो नाम हैं हिन्दू जाति से मिटा देने चाहिएं। यह टाईटल बिल्कुल हिन्दुओं से तो मिटा देने चाहिएं और साम्प्रदायिकता को खत्म करने के लिए आधा नाम हिन्दू और आधा नाम मुसलमान या क्रिश्चियन, ऐसे मिला करके रखने चाहिएं क्योंकि हम लोगों ने इसका प्रयोग किया है सोशलिस्ट लोगों ने--हमारे बेग साहब थे, उन्होंने अपने लड़के का नाम रखा था प्रकाश आलम। मैंने भी अपनी लड़की का नाम रखा है जयश्री नूर। एक लड़का मेरा है जिसका नाम कृष्ण कबीर है और दूसरा लड़का है जिसका नाम है कश्मीर अली। यह नाम मैंने इसलिए रखे हैं कि किसी को मालूम न हो कि वह हिन्दू है, न मालूम हो कि वह मुसलमान है, हिंदू समझें कि वह हिंदू है और मुसलमान समझें कि वह मुसलमान है।

डा. लोहिया कहा करते थे कि इस देश की जो समस्यायें हैं, साम्प्रदायिक समस्याएं हैं, उनको मिटाने के लिए थोड़ी छाती चौड़ी करनी पड़ेगी, उदार बनना पड़ेगा, दिमाग को थोड़ा विकसित करना पड़ेगा और जब इस देश का हर मुसलमान ऐसे हो कि वह अपने को आधा हिंदू समझेगा और हर हिंदू अपने को आधा मुसलमान समझेगा, भावनात्मक तौर से--यह जो मैंने बात कही है, यह भावनात्मक तौर से जब समझने लगेगा, तब इस देश का निर्माण होगा--मन से, यह नहीं कि केवल मुंह से बोलेगा और वहां शोषण का काम वही करेगा, तो यह बात चलने वाली नहीं है। जहां तक मैं समझता हूं कि अभी जो ब्राह्मणिक सोसायटी है, अभी थोड़ी भी आप कोई चीज लाएंगे परिवर्तन की, तो उसको बर्दास्त नहीं होगी। सुकुल जी जब यहां बोल रहे थे तो कोई साधारण बात नहीं बोल रहे थे। उनका तो दुर्ग ढह जाएगा न क्योंकि यहां सुकुल, तिवारी, त्रिपाठी, उपाध्याय नाम गया तो लगेगा कि ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग जो हैं, वह उससे हट जाएंगे।

आज यहां जो आई. ए. एस. की परीक्षा होती है। मैंने देखा है रिटेन परीक्षा में हमारे एक साधारण ओवरसियर का लड़का है, तीन बार क्वालिफाई किया, लेकिन जब वह जाता है वायवा-वोस में, तो छंट जाता है। आप बताइए जिसने तीन बार रिटेन क्वालीफाई किया, वह वायवा-वोसी में छंट जायेगा ? क्या इतना कमजोर हो जाएगा कि वहां पर कुछ बोल नहीं सकेगा। उसका कारण है, उसके बाप का नाम सार्टिफिकेट में लिखा है-राजेन्द्र सिंह यादव. . (व्यवधान). बाप का नाम है और लिखा है राम भरोसा राम। तो कहते हैं यह आई.ए.एस. कैसे बनेगा। काट दिया तीन बार उसका नाम। इसी तरह से एक और हमारा आदमी है, वह भी तीन बार रिटेन क्वालिफाई किया है और तीनों बार वायवा-वोसी में छट गया। उससे पूछा क्या, उसने बताया तुम्हारे पिता जी क्या करते हैं ? कितनी भैंस हैं ? कितनी खेती होती है ? यह पूछा गया और उसके बाद डिसक्वालीफाई कर दिया। अब 300 नंबर के वायसा-वोस हैं। मैं तो मांग करना चाहता हूं इस सदन के माध्यम से सरकार से कि जो आई.ए.एस. और आई.पी.एस. की परीक्षाएं हैं, इसमें 300 नंबर के वायसा-वोस जो हैं, उसको घटाओ और उसको 50 नंबर पर लाओ। 50 नंबर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए।

मान्यवर, मैं यह बता देना चाहता हूं कि बिहार में पहले पब्लिक सर्विस कमीशन में 300 नंबर का वायवा-वोस था। उस कारण पिछड़ी जाति के और हरिजन लोग कम कम्पीट कर पाते थे। क्वालीफाई तो बहुत करते थे, लेकिन कम्पीट कम करते थे, ओरल में छंट जाते थे। जब दरोगा प्रसाद राय जी वहां मुख्य मंत्री बने तो मैं वहां विधायक था। मैंने 50 विधायकों से हस्ताक्षर करवा कर ज्ञापन दिया था कि यह

वायसा वोसी 300 नंबर से घटा कर 50 नंबर का किया जाये। उसे 50 नंबर का तो नहीं किया गया, लेकिन 100 नंबर कर दिया गया और आज उसी का नतीजा है कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा सैंकड़ों पिछड़े वर्ग के लोग कम्पीट करते हैं। आज आई.ए.एस. और आई.पी.एस. की परीक्षा में कम से कम 50 फीसदी ब्राह्मण, सुकुल, तिवारी, पाण्डेय गांगुली, चटर्जी. कृष्णअय्यर, ये सारे कम्पीट करते हैं क्योंकि उनको देखने वाले वही लोग हैं। तो जाति का नाम हटाना बहुत जरूरी है। उपनाम हट जाये और उपनाम हटने के बाद ऐसा नाम रख दिया जाये, जैसे कृष्ण आलम अन्थोनी। तो पता नहीं चलेगा...(**व्यवधान**)...

श्री कल्पनाथ राय (उत्तर प्रदेश): आप बुनियादी बात बोलिए।

श्री राम अवधेश सिंह: वही कह रहा हूं यह जो बिल लाया गया है, यह बहुत अच्छा बिल है। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, हर तरह से समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह बिल पास हो जाना चाहिए। मैं पुन: माननीय सदस्य के प्रति आभार प्रकट करता हूं, जिन्होंने यह प्रस्ताव लाया है और साथ ही उपसभापति महोदय के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने मुझे आज प्रथम दिन ही बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

ठाकुर जगत पाल सिंह: (मध्य प्रदेश): आदरणीय उपसभापति जी, यह जो आज बिल लाया गया है, यह बहुत ही अहम बिल है और उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अगर हम इतिहास को उठाएं कि जाति हिन्दू धर्म में कैसे आयीं तो पता लगेगा कि पहले कर्म से मनुष्य पहचाना जाता था। चार वर्ण बने थे। जो मार्शल रेस होता था, उसे क्षत्रिय कहा गया, जो व्यापार करता था उसे बनिया कहा गया, जो ब्रह्म-वदिधवादी था उसे ब्राह्मण कहा गया और जो अनस्किल्ड लेबर थी उसे शूद्र कहा गया। इस प्रकार अलग-अलग नाम दिए गए। लेकिन धीरे-धीरे यह जातियां बनती चली गयीं और कर्म से न होकर जन्म से होने लगीं।

इसी प्रकार इस्लाम में जो जातियां थीं वे प्रोफेशन से थीं। उससे कोई नुकसान नहीं होता है, जैसे कि अंसारी प्रोफेशन से बने।

आज जिस तरह का शोषण जाति-पांति के नाम पर हो रहा है, जाति-पांति और धर्म के नाम पर देश को तोड़ने के लिए जो कुछ किया जा रहा है उसका खतरा हमारे सामने है। छोटे खतरे को एवाइड करने के लिए बड़ा खतरा मोल नहीं लिया जा सकता। जब बीमारी होती है तभी इलाज होता है। तिरंगे झंडे के नीचे--चाहे हम किसी जाति के हों--हमने देश को आजाद कराया। तिरंगे झंडे के नीचे पंडित नेहरू, मौलाना आजाद और श्रीमती इन्दिरा गांधी, जिन्होंने अपने खून का आखिरी कतरा देश की एकता के लिए दिया, जिस एकता की बात कही थी आज वह एकता खतरे में है-- पहले ऐसा धर्म के नाम पर होता था, आज जाति के नाम पर होने जा रहा है।

सरनेम से क्या बड़ा नुकसान है मैं बताता हूं। सेलेक्शन में सरनेम देखकर यह सोचा जाता है कि इस जाति का लड़का है इसका सेलेक्शन कर लो, लड़की को शादी हो जायेगी। कोटे और परमिट के लिए एप्लीकेशन जाती है तो सरनेम देखकर उस जाति के लोगों को तरजीह दी जाती है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तीनों क्षेत्रों में जाति के नाम पर शोषण किया जा रहा है। यह तभी दूर हो सकता है जब सरनेम को हटा दिया जाये।

आज गुजरात में क्या हुआ? गुजरात में हिन्दू और मुसलमान के नाम पर हो रहा है। धीरे-धीरे जाति के नाम पर इस देश में रायट शुरू हो जाएंगे। विदेशी ताकतें हमारी बंधी हुई चीजें तोड़ना चाहती हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस मुल्क पर काले बादल मंडरा रहे हैं। हमारी और आपकी जिम्मेदारी हो जाती है जो हमारे महान नेताओं की कुर्बानियों से आजादी मिली है उसको कायम रखें और आर्थिक और राजनीतिक क्रांति के रास्ते में जो बुराइयां हैं उनको मिटाने की कोशिश

[ठाकुर जगत पाल सिंह]

करें, सब मिल कर करें। मैं यह मानता हूं कि सरनेम हटाना बहुत जरूरी बात है। मैं तो यह देखता हूं कि जाति और धर्म के नाम पर संस्थाएं चलती हैं, जैसे कि जाट हॉस्टल, राजपूत हॉस्टल। इससे साइकोलोजी बनती है बच्चे की कि मैं इस जाति का हूं और जो उस जाति का आदमी होता है उससे हमदर्दी लगती है। आज बिहार में देखें, यू.पी. में देखें। जब बरसात होती है, तभी छाता निकालना होता है। जाड़ों में छाता नहीं निकालते। उन सब शक्तियों को जो इस देश के टुकड़े करना चाहती हों, जो इस देश की आर्थिक क्रांति को रोकना चाहते हों, इस देश की एकता को खंडित करना चाहती हों उनको खत्म करना होगा। आज हम एक हैं कम से कम इस बात के लिए देश आगे बढ़े। मैं माननीय सदस्यों से, विरोधी पक्ष के नेताओं से कहना चाहता हूं कि कुछ मामलों में यह तय करना होगा, इस देश की एकता को बनाए रखने में और इस देश को आगे ले जाने वाली आर्थिक नीति में सब मिलकर एक साथ चलेंगे। अधिक समय न लेते हुए मैं चाहूंगा कि सदन इस बिल को पास करे।

शुक्ल जी ने मुसलमानों की बात कही कि नाम बदलने की बात नहीं है, सरनेम बदलने की बात है। जैसा कि उन्होंने कहा, राठौर, चौहान, गूजर, जो सरनेम हैं, वह हटा दीजिए। वह बहुत जरूरी है। मैंने अभी देखा कि एक सलेक्शन में वही हुआ मेरे एक मित्र थे, मैं उन के घर में बैठा था। उन्होंने अपनी बीबी से कहा कि मैं ने आज तीन लड़कों को सेलेक्ट कर लिया है जो फलां जाति के हैं। उनके सरनेम से उन्होंने पहचाना कि वे हमारी जाति के हैं और उसके बाद उन का सेलेक्शन हो गया और उस के बाद उन तीनों लड़कों से शादी की बात की गयी और फिर उसके बाद फाइनल लिस्ट पब्लिश की गयी। तो इस लिये मैं चाहता हूं कि यह सरनेम लिखने की प्रथा हटायी जाये।

मैं एक शब्द और कहना चाहता हूं कि आज विदेशी ताकतें हमारे देश को तोड़ना चाहती हैं। हमारे देश की कमजोरियों को पकड़ना चाहती हैं और जो हमारे देश में कमजोरियां आ रही हैं अगर हम उन का सब मिल कर मुकाबला नहीं करेंगे तो हिस्ट्री इज ए मर्सीलेस जज। इतिहास से ज्यादा निर्दयी न्यायकारी और कोई नहीं होता। जो उस से नसीहत नहीं लेता वह भोगता है। तो फिर इतिहास रिपीट न होने पाये जिस के लिये हमारे देश के नेताओं ने इतनी कुर्बानियां की हैं और इतनी आहुतियां दी हैं इस का हमें ध्यान रखना चाहिए।

अंत में मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया और मैं चाहता हूं कि यह बिल सर्वसम्मति से पास किया जाये।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI PAWAN KUMAR BANSAL): Now, the hon. Minister will reply.

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF STATES (SHRI GHULAM NABI AZAD): Mr. Vice-Chairman, Sir, I share the concern and anxiety shown by the hon. Member, Shri Adinarayana Reddy by moving the Abolition of Caste and Religious Titles from Names Bill. 1983. The hon. Member has introduced this Bill in this House to achieve a casteless and classless society.. He said that in the Forms maintained by various educational institutions and various public bodies like employment exchange, and Public Service Commissions a person is required to communicate his or her caste or religion.

Sir, as far as the aims and objectives of this Bill are concerned, I do not think there is any difference of opinion among the hon. Members in this House either from this side or that side. The objects are very good and keeping in view the prevailing situation in the country, on the face value nobody can deny that the need of the hour is to have a society, an atmosphere whereby all sections of society, all religions as is already envisaged in the Constitution of India should be free and should have their share in any sphere of life. Ours is a society which is multilingual and multi-religious. But unfortunately for the last few years, there has

been some circumstances prevailing in our country wherein casteism and communalism has been increasing tremendously. This may be the reason for the hon. Member to come forward with a Bill of this nature. Sir, as far as the foundation of our life is concerned, its common citizenship, unity in diversity, freedom of religion, secularism, equality, justice-social, economic and political and fraternity among all communities the Constitution makes special provisions to guarantee these basic concepts. Sir, in fact, as you know, the Preamble of the Indian Constitution opens up with the following phrase and I quote:

"WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN, SOCIALISTIC, SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC."

So, similarly, Article 15 prohibits discrimination on grounds of religions, race, caste, creed and place of birth Untouchability, which is considered to be one the most prominent evils of the caste system has also been abolished under Article 17. Sir, having regard to the special needs of weaker sections of society, particularly, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other backward classes, especially in regard to educational and employment facilities, special provisions have been made in the Constitution in Article 15, clause (4) and Article 16, Clause (4) enabling the State to provide special facilities to these classes notwithstanding the provisions relating to equality or provision of discrimination etc.

Sir, a large number of hon. Members have spoken here. Unfortunately, I could not hear the speeches made in the last Session but I could go through the synopsis. I had an opportunity to listen to half-a dozen of the Members of Parliament on both the sides. They have shown their concern that the Government of India should take some necessary measure whereby the homogenety in our country and the society can be further strengthened and maintained. I would like to share with the House this concern. As far as the Government of India is concerned, we have taken a number of measures in this behalf. For example, in the census enumeration since 1951 no entry about caste is made in records except in the case of Scheduled Castes and Scheduled Tribes where it might be necessary for administrative reasons to meet some statutory obligations. Sir, a law has been passed by which registration of documents is to be made without any reference to the parties concerned. Sir, the Government have already examined the question of abolition of references to caste and sub-caste in all matters connected with States or its services and have come to the conclusion that references to caste or sub-caste in the various forms and registers in jails, police, education, services and other departments and also in judicial proceedings can be eliminated except in cases where it is absolutely necessary for the administrative reasons of our fulfilment of statutory obligation. Sir, the State Governments have also been requested to re-model the forms accordingly. It has been suggested to them that the census questionnaire might serve as a model for this purpose. Sir, the Protection of Civil Rights Act, 1955 has been passed with a view to enlarging the scope of the legislation and making its provisions more stringent. Grants are made available for certain purposes relating to the Untouchability Act. The National Integration Council and its committees on Education and Communal and Caste Harmony provide a national level forum regarding imparting of education on secular and nationalist lines and to mobilise public opinion to eradicate the evils of caste conflicts and to focus the attention of the public and voluntary agencies on the welfare aspects of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections of the society.

The point that needs to be stressed is that one of the cardinal principles of thte functioning of the Government and other public institutions is secularism and national integration. As far as the Government of India is concerned, we are seized of the

[Shri Gulam Nabi Azad]

evils of casteism but its policies and programmes are also directed towards lessening the effects of this system in such a way that the sufferings of the underprivileged sections are mitigated without creating any serious friction in the social order.

Having said all this, I agree with Mr. P. N. Sukul who has rightly said that what is really needed is not merely changing of titles. The need is to change the mental attitude of the people. We may change the titles; we may have any sort of name; we may put together Hindu, Sikh and Christian names all together; but unless we change our hearts, unless we change our mental attitude, no amount of changing of titles can help us. That is the first and foremost thing that we have to do. That is the need of the hour.

As far as the political parties are concerned, they have to play a great role in this. For five years, all the political parties talk of secularism, a casteless society, a homogeneous society and so on, but unfortunately when it it comes to elections. what happens? Mostly a few political parties fight the elections on the basis of casteism only. They may preach anything, but when it comes to the actual thing, they will preach casteism and communalism. So I think the political parties have to play a great role in this. Unless we ensure that, I do not think merely changing of titles can help us.

As I have mentioned, in our country, the name itself almost always indicates the religion. My friend, Mr. Sukul, has already mentioned it. Suppose there is a particular Hndu. Now even if he puts only the first part of his name, in spite of his not having the title with it, he may be recognised as a Hindu. If there is a Muslim, even if he does not put the title against his name, in spite of that, he can be recognised as a Muslim. I think in a country like India, in spite of so many castes, creeds and religions, we should have a certain atmosphere. Whatever titles we may have, we should try to have a certain atmosphere. The title should not

4.00 P.M.

have anything to do with religion and casteism and communalism. We should try to build an atmosphere, we should try to change our mental attitude, so that we can see that in spite of the different titles in names we remain together and we bring about a society where we are not afraid of anything. I have already said, most honourable Members have also said, particularly Shri P. N. Sukul, that simply changing titles is not going to serve the purpose of our society. I would, therefore, request the honourable mover of the Bill to withdraw the Bill. Government has already taken a lot of steps and is continuing to take a lot of steps. What we should do is we should put our heads, we should bring our hearts together, and bring about a classless society despite the existence of different names and titles. I request the honourable Member once again to withdraw the Bill.

SHRI ADINARAYANA REDDY (Andhra Pradesh) : Mr. Vice-Chairman, though the title of the Bill was to provide for abolition of names indicative of caste and religion the main purpose in moving this Bill was to provide a fullscale discussion on the caste and communal tendencies that are raising their ugly head in the ecountry today. This was the first sentence I spoke when I intraduced this Bill. I thank all honourable Members including Shri Sukul, for agreeing with the main purpose of the Bill. I am happy that the main purpose of the Bill has been servd. The honourable Minister has gone into the details of the question of what the Government has done. I had also said in my earlier speech that the Government has done so may things. But in spite of its efforts there is communal tension in the country which needs much greater attention and effort from the Government; the Government has to put in moremore vigorous efforts to control the communal situation prevailing in the country today which is being aided by foreign forces. It is a fact and it cannot be denied. The situation has to be tackled on a war footing. It it not enough to say that we are doing something. It is not only the Government but other political parties, Opposition parties, also must cooperate in this endeavour; in puting down communalism in the country. It is

essential in order to keep the country united, to preserve the integrity of the country. Even today we are witnessing the havoc being created by the communal virus in different parts of the country, in Gujarat in Punjab, even in Andhra. In Andhra there were communal troubles; it is not as if they have been completely curbed. Only comparatively they have been stopped but the virus of communalism is still alive there. That has got to be eradicated. And it can only be done by the cooperative effort of all sections of the society, by all political parties, all right thinking people. I request the Government and all other political parties to go into the matter thoroughly and do the needful.

In view of the assurance of the honourable Minister that the Government will do its best, I seek permission of the honourable House to withdraw the Bill.

The Bill was, by leave, withdrawn.

The Constitution (Amendment) Bill, 1984 (to Amend Article 371)

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I move—

That the Bill further to amend the Constitution of India, be taken into consideration.

Sir, this is a very important Bill. It is concerned with the development of backward regions of Maharashtra, Gujarat and the entire country. It has been mentioned in Article 371—

"Notwithstanding anything in this Constitution, the President may, by order made with respect of the States of Maharashtra or Gujarat, provide for the establishment of separate boards for the development of Maharashtra or, as the case may be of Gujarat, and in particular, of the districts of Nagpur, Akola, Amravati, Bhandara, Buldhana, Chandrapur, Wardha and Yavatmal in Vidarbha region and the districts of Aurangabad, Bir, Parbhani, Nanded, Osmanabad, Latur and Jalna in the Marathwada region and Saurashtra and Kutch in Gujarat, by the Government of Maharashtra or, as the case may be, by the Government of Gujarat."

"Each Board shall take steps to secure the rapid and accelerated development of the said areas in all fields—educational, economic, cultural and social, in order to bring these areas in each State on par with the other developed areas of these States. Each Board shall make a report to the Government of the respective State and to the President after every six months regarding the progress of development in different fields and the executive power of the Union will extend to giving of directions to the Board and the concerned Government as to the measures taken or to be taken by the Board in consultation with the Government of the State. The President may make such other orders in respect of the developbment of each State as he may consider necessary having regard to the requirement of the State."

Sir, under article 371 of the Constitution, a special provision for the development of the States of Maharashtra and Gujarat was there at the time of the formation of these States. In spite of the assurance to the effect that the underdeveloped areas of these States would not suffer for want of attention in the matter of development, actually such areas have not received a fair deal and the result is that the people in certain regions of the States continue to suffer and languish in the matter of development—economic, educational, social and industrial. It is, therefore, felt imperative that the people of Mahathwada and Vidarbha of Maharashtra and of Saurashtra and Kutch of Gujarat are assured that the necessary measures, speedy measures, would be taken for these regions and, Sir, towards this end, article 371 of the Constitution needs to be suitably amended.

Sir, this Bill has been brought forward because you know that after the formation of the States, after the reorganisation of the States, the undeveloped and underdeveloped regions in the various